सत्र वाद सं0– 509 / 2016
सुलतानगंज थाना कांड संख्या–**217** / 2015
राज्य बनाम् मदन कुमार उर्फ माधो
निर्णय दिनांक–06.06.2026

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–**III**
भागलपुर।

निर्णय दिनांक – 06.06.2026

सत्र वाद संख्या – **509** / 2016

सुलतानगंज थाना कांड संख्या–217 / 2015

अंतर्गत धारा – 302, 201, 34 भा0द0वि0

निबंधन संख्या – 509 / 2016

बिहार राज्य द्वारा सूचक प्रमोद कुमार सिंह, साकिन–नारायणपुर, थाना–सुलतानगंज जिला–भागलपुर.....**सूचक**

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक :– श्री काशीनाथ मिश्रा।

बनाम्

मदन कुमार उर्फ माधो, उम्र–32 वर्ष, पिता नवल मंडल, सा0–कमरडीह, थाना–शंभूगंज, जिला–बांका।.....**अभियुक्त**

बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– इंदू कुमार सिन्हा

घटना की तिथि	12 / 13.10.2015
प्राथमिकी दर्ज होने की तिथि	13.10.2015
आरोप पत्र की तिथि	30.05.2016
आरोप गठन की तिथि	30.01.2017
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	04.04.2018
तिथि जिसके द्वारा निर्णय हेतु रखा गया	03.06.2026
निर्णय की तिथि	06.06.2026
सजा आदेश की तिथि, यदि कोई हो	

सत्र वाद सं0– 509/2016

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर।

सुलतानगंज थाना कांड संख्या–**217**/2015
राज्य बनाम् मदन कुमार उर्फ माधो
निर्णय दिनांक–06.06.2026

अभियुक्त का क्रम	अभियुक्त का नाम	गिरफतारी की तिथि	जमानत प्राप्ति की तिथि	आरोप अंतर्गत धारा	दोषमुक्त/दोषसिद्ध	सजा की अवधि	विचारण के दौरान कारा में बिताई गई अवधि
	मदन कुमार उर्फ माधो	–	–	302, 201, 34 भा0द0वि0	दोषमुक्त	–	–

क. अभियोजन गवाह :–

क्रम सं0	गवाह का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ, चिकित्सीय गवाह, पंच, इत्यादि)
PW1	रामरेखा सिंह	–
PW2	तुलिया देवी	–
PW3	अजय कुमार स्वतंत्र	–
PW4	सुमन कुमार	–
PW5	प्रमोद कुमार सिंह उर्फ रामलखन सिंह	सूचक
PW6	डाक्टर राजीव रंजन	चिकित्सक
PW7	गगन कुमार सुधाकर	अनुसंधानकर्ता

ख. बचाव पक्ष के गवाह (यदि कोई हो) :– शून्य

क्रम सं0	गवाह का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ, चिकित्सीय गवाह, पंच, इत्यादि)
	शून्य	

ग. न्यायालय गवाह (यदि कोई हो) :– शून्य

क्रम सं0	गवाह का नाम	साक्ष्य का प्रकार (चक्षुदर्शी, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ, चिकित्सीय गवाह, पंच, इत्यादि)
	शून्य	

अभियोजन प्रदर्श :– शून्य

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	1	फर्दब्यान पर गवाह का हस्ताक्षर
2.	1/1	फर्दब्यान पर गवाह का हस्ताक्षर
3.	1/2	फर्दब्यान पर सूचक का हस्ताक्षर
4.	2	अंत्य परीक्षण रिपोर्ट का लिखावट एवं हस्ताक्षर
5.	3	फर्दब्यान का लिखावट एवं हस्ताक्षर
6.	3/1	फर्दब्यान पर कांड का निबंधन का लिखावट एवं लघु हस्ताक्षर
7.	4	मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट
8.	5	औपचारिक प्राथमिकी पर लघु हस्ताक्षर
9.	6	डेड बॉडी चलान का लिखावट एवं लघु हस्ताक्षर
10.	7	आरोप पत्र का लिखावट एवं हस्ताक्षर

सत्र वाद सं0– 509/2016

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर।

सुलतानगंज थाना कांड संख्या–**217**/2015
राज्य बनाम् मदन कुमार उर्फ माधो
निर्णय दिनांक–06.06.2026

बचाव पक्ष प्रदर्श (यदि कोई हो) :– शून्य

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
	शून्य	

न्यायालय प्रदर्श (यदि कोई हो) :– शून्य

क्रम सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
	शून्य	

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद में एक मात्र अभियुक्त मदन कुमार उर्फ माधो का विचारण भा0द0वि0 की धारा 302, 201, 34 भा0द0वि0 के आरोपों के लिए किया गया है कि दिनांक–13.10.2015 के सुबह सूचक के भाई अजय कुमार स्वतंत्र के मोबाईल पर किसी का फोन आया कि पंकज कुमार की हत्या हो गई है। फिर सूचक के भाई अजय कुमार स्वतंत्र ने सूचक को बताया कि पंकज कुमार की हत्या हो गई है। तब हमलोग मुरारका कॉलेज के बबुआ बागीचा रेलवे लाइन के उत्तर में गए तो वहॉ देखे कि पंकज कमार का लाश फेंका हुआ है जो पेट के बल गिरा हुआ था जिसके गले में चारो तरफ काला रंग का निशान एवं उसका जीभ मुॅह से बाहर निकला हुआ था एवं नाक तथा मुॅह से झाग निकला हुआ था।

2. सूचक प्रमोद कुमार सिंह के द्वारा दिनांक–13.10.2015 को दिन में 10.30 बजे फर्दब्यान दिया गया जिसके आधार पर सुलतानगंज थाना कांड संख्या–217/2015 दिनांक–13.10.2015 अन्तर्गत धारा 302, 201, 34 भा0द0वि0 के तहत पंजीकृत किया गया। फर्दब्यान के आलोक में अभियोजन का संक्षेप में वाद यह है कि दिनांक–13.10.2015 के सुबह सूचक के भाई अजय कुमार स्वतंत्र के मोबाईल पर किसी का फोन आया कि पंकज कुमार की हत्या हो गई है। फिर सूचक के भाई अजय कुमार स्वतंत्र ने सूचक को बताया कि पंकज कुमार की हत्या हो गई है। तब हमलोग मुरारका कॉलेज के बबुआ बागीचा रेलवे लाइन के उत्तर में गए तो वहॉ देखे कि पंकज कमार का लाश फेंका हुआ है जो पेट के बल गिरा हुआ था जिसके गले में चारो तरफ काला रंग का निशान एवं उसका जीभ मुॅह से बाहर निकला हुआ था एवं नाक तथा मुॅह से झाग निकला हुआ था।

3. अनुसंधानोंपरांत अनुसंधानकर्ता द्वारा प्राथमिकी नामित अभियुक्त मदन कुमार उर्फ माधो के विरूद्ध धारा 302, 201, 34 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या–93/2016 दिनांक–30.05.2016 को विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भागलपुर के न्यायालय में समर्पित किया गया जिसपर विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भागलपुर द्वारा अपराध का संज्ञान दिनांक–02.07.2016 को लिया गया तथा मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण विद्वान प्रथम अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, भागलपुर द्वारा दिनांक 15.07.2016 को उपस्थित एक मात्र अभियुक्त मदन कुमार उर्फ माधो के विरूद्ध वाद को सत्र न्यायालय को दौरा सुपुर्द किया गया। स्थानांतरण के क्रम में अभिलेख विचारण एवं निष्पादन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

4. अभियुक्त को भा0द0वि0 की धारा 302, 201, 34 के आरोपों के लिए दिनांक–30.01.2017 को आरोप गठन करके हिन्दी में पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिसे अभियुक्त द्वारा इंकार किया गया एवं वाद में विचारण का दावा किया गया। तत्पश्चात् पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत की गई।

सत्र वाद सं0– 509/2016

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर।

सुलतानगंज थाना कांड संख्या–**217**/2015
राज्य बनाम् मदन कुमार उर्फ माधो
निर्णय दिनांक–06.06.2026

5. अभियोजन साक्ष्य बंद करने के पश्चात् अभियुक्त मदन कुमार उर्फ माधो का बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 के तहत लेखबद्ध किया गया जिसमें उन्होंने स्वंय को निर्दोष बताया है तथा कहा है कि झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष की ओर से सफाई में कोई भी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य माननीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं ?

मंतव्य

7. प्रस्तुत वाद में अभियोजन के तरफ से अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए कुल सात साक्षियों का परीक्षण कराया गया है।

अभियोजन साक्षी सं0–01 रामरेखा सिंह
अभियोजन साक्षी सं0–02 तुलिया देवी
अभियोजन साक्षी सं0–03 अजय कुमार स्वतंत्र
अभियोजन साक्षी सं0–04 सुमन कुमार
अभियोजन साक्षी सं0–05 प्रमोद कुमार सिंह उर्फ राम लखन सिंह
अभियोजन साक्षी सं0–06 डाक्टर राजीव रंजन
अभियोजन साक्षी सं0–07 गगन कुमार सुधाकर

8. अभियोजन के उपर यह दायित्व है कि अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित करे। इस परिपेक्ष्य में **साक्षी सं0–1 के रूप में रामरेखा सिंह** का परीक्षण कराया गया है जिन्होंने अपने अभिसाक्ष्य में कहे हैं कि पंकज कुमार मेरा लड़का था। घटना दिनांक 12 अक्टूबर 2015 की है। मैं उस समय घर पर था। मेरा दामाद सुमन कुमार सुलतानगंज विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव का उम्मीदवार था तथा मैं उसका चुनावी एजेंट था। मुझे मेरी पत्नी ने बताया कि घटना के दिन मेरा लड़का अपने ही गॉव के गौतम नाम के व्यक्ति के मोटरसाइकिल पर गौतम कुमार एवं मेरे छोटे भाई अजय कुमार स्वतंत्र के साथ निकला था सुलतानगंज के लिए। मेरा लड़का रात को लौटकर नहीं आया, फिर मेरे छोटे भाई अजय कुमार स्वतंत्र ने दुसरे दिन मेरे घर पर आकर मेरी बड़ी बेटी को बताया कि तुम्हारा भाई लौटा जिसपर नहीं लौटने बात कहने पर मेरे छोटे भाई ने बताया कि पंकज की हत्या हो गई है और उसका शव बबुआ जी बागीचा में पड़ा है। मेरे पुत्र की हत्या गला दाबकर हुई थी पर हत्या करते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। मेरा बेटा पंकज कुमार का मोबाईल नंबर 9955140991 था। घटना के दिन मेरे बेटे के फोन पर मदन कुमार के सीम नंबर से फोन आया था। मेरे बेटे को अभियुक्त के बड़े भाई द्वारा पहले भी अपहरण किया गया था एवं उनसे पूर्व से मेरे बेटे की रंजिश थी क्योंकि उसने अपनी बहन पुष्पलता सिन्हा की शादी अभियुक्त मदन कुमार, सदानंद के मसौरे भाई से करा दी थी जिसका अभियुक्तगण विरोध किए थे। गवाह अभियुक्त मदन कुमार जो आज न्यायालय में उपस्थित है उसको दिखाते हुए कहा कि सीम उसी का था पर उसका नंबर याद नहीं है।

9. विद्वान अपर लोक अभियोजक की तरफ से **साक्षी सं0–2 तुलिया देवी** का परीक्षण कराया गया है जो अपने मुख्य परीक्षण में कहे है कि घटना दिनांक 12.10.2015 की है। पंकज कुमार मेरा बेटा था। गौतम कुमार और अजय कुमार स्वतंत्र मेरा बेटा को घर से बुलाकर ले गया। मेरे बेटे की हत्या गला दाबकर की गई थी। मैंने नहीं देखा था कि बेटा को किसने मारा। मुझे मेरी बड़ी बेटी को फोन करके बताया कि उसे अजय कुमार स्वतंत्र ने बताया है कि पंकज खत्म हो गया। मेरी बड़ी बेटी का नाम पुष्पसुधा है। मेरा बेटा घटना के दिन मोबाईल रखे हुउ था। मुझे उस दिन फोन नहीं किया था। गवाह ने न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त मदन

सत्र वाद सं0– 509/2016

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर।

सुलतानगंज थाना कांड संख्या–**217**/2015
राज्य बनाम् मदन कुमार उर्फ माधो
निर्णय दिनांक–06.06.2026

कुमार उर्फ माधो को पहचाना और कहा कि अभियुक्त मेरी छोटी बेटी का मसौरा देवर लगता है।

10. विद्वान अपर लोक अभियोजक की तरफ से **साक्षी सं0–3 अजय कुमार स्वतंत्र** का परीक्षण कराया गया है जो अपने मुख्य परीक्षण में कहे है कि मेरा भतीजा पंकज कुमार की हत्या हुई थी। मुझे नहीं पता कि यह मुकदमा किसने किया है। इस फर्दब्यान पर गवाह के रूप में मेरा हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानता हूँ, यह फर्दब्यान मेरे भाई प्रमोद कुमार सिंह के द्वारा लिखाया गया था। फर्दब्यान पर गवाह के हस्ताक्षर को प्रदर्श–1 अंकित किया गया। इसी फर्दब्यान पर गवाह के रूप में सुमन कुमार सिंह का भी हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानता हूँ। फर्दब्यान पर गवाह के रूप में सुमन कुमार सिंह के हस्ताक्षर को प्रदर्श–1/1 अंकित किया गया। घटना साल–दो–साल पहले की है। उस दिन दुर्गापूजा का एकम तिथि था। मुझे घटना का समय ज्ञात नहीं है। मैं उस समय नारायणपुर स्थित अपने घर पर था। उस समय बाजार में हल्ला सुनकर मैं बाजार गया। मैं सुलतानगंज अपने भतीजे को देखने गया था तथा साथ में मेरा ग्रामीण मटकी मंडल तथा नंदलाल कुमार भी थे। वहॉ देखे कि मेरे भतीजा पंकज कुमार का लाश सुलतानगंज रेलवे केबिन के बगल में बगीचे में फेंका हुआ था तथा उसके गले में रस्सी का निशान था और मैं कुछ नहीं देखा। फिर मेरे मंझीला भाई प्रमोद कुमार और मेरे बड़े भाई के समधी मुरानी मंडल मेरे भतीजा पंकज कुमार की लाश को लेकर भागलपुर आए और मैं घर पर ही रह गया। पंकज कुमार की हत्या किसने की थी यह मुझे पता नहीं चला।

11. विद्वान अपर लोक अभियोजक की तरफ से **साक्षी सं0–4 सुमन कुमार** का परीक्षण कराया गया है जो अपने मुख्य परीक्षण में कहे है कि घटना दिनांक 12.10.2015 की रात की है। मुझे घ ाटना की जानकारी दिनांक 13.10.2015 के सुबह पॉच बजे मिली। सुबह जब मेरे चचिया ससुर अजय कुमार फोन पर किसी से बात कर रहे थे तब मैंने उनसे सुना कि मर गया–मर गया, पुनः कहते है कि मारा गया–मारा गया तब मैंने अपने चचिया ससुर से पूछा तो उन्होंने बताया कि पंकज कुमार मारा गया। पंकज कुमार मेरा साला था। तब हमलोग पूरब की ओर स्थित सुलतानगंज रेलवे फाटक के पास के बागीचे में गए। उक्त बागीचे के सामने सड़क के उस पार मुरारका कॉलेज है। बागीचा में हमने देखा कि पंकज कुमार का शव एक हल्के से गढ्ढे में जिसमें लगभग एक फीट पानी था उसी में मुँह के बल लेटे हुए अवस्था में था। पंकज कुमार के शरीर पर हल्का–फुल्का खरोंच का निशान था और गला में काला–काला दाग था। फिर पुलिस आई और पंकज कुमार का लाश उठाकर ले गई और हमलोग से हस्ताक्षर कराया किसी कागज पर। फर्दब्यान पर गवाह अपने हस्ताक्षर को पहचाना जो पूर्व से प्रदर्श– 1/1 अंकित है।

12. विद्वान अपर लोक अभियोजक की तरफ से **साक्षी सं0–5 प्रमोद कुमार सिंह उर्फ राम लखन सिंह** का परीक्षण कराया गया है जो अपने मुख्य परीक्षण में कहे है कि घटना दिनांक 13.10. 2015 की है। सुबह सूचक के भाई अजय कुमार स्वतंत्र के मोबाईल पर किसी का फोन आया कि पंकज कुमार की हत्या हो गई है। फिर सूचक के भाई अजय कुमार स्वतंत्र ने सूचक को बताया कि पंकज कुमार की हत्या हो गई है। तब हमलोग मुरारका कॉलेज के बबुआ बागीचा में गए तो वहॉ देखे कि पंकज कमार का लाश फेंका हुआ है जो पेट के बल गिरा हुआ था जिसके गले में चारो तरफ काला रंग का निशान एवं उसका जीभ मुँह से बाहर निकला हुआ था एवं नाक तथा मुँह से झाग निकला हुआ था। फिर मैं थाना जाकर सूचित किया तब थाना वाले आए और शव को उठाकर थाना ले गए। इस फर्दब्यान पर मेरा हस्ताक्षर है, जो मेरा ही फर्दब्यान है एवं इस पर मैं अपने हस्ताक्षर को पहचानता हूँ, इसे प्रदर्श–1/2 अंकित किया गया। मुझे आजतक यह पता नहीं चला कि पंकज कुमार की हत्या किसने की थी।

13. विद्वान अपर लोक अभियोजक की तरफ से **साक्षी सं0–6 डाक्टर राजीव रंजन** का परीक्षण कराया गया है जो अपने मुख्य परीक्षण में कहे है कि I was posted as a tutor in the

सत्र वाद सं0– 509/2016

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर।

सुलतानगंज थाना कांड संख्या–**217**/2015
राज्य बनाम् मदन कुमार उर्फ माधो
निर्णय दिनांक–06.06.2026

deparment of FMT, JLMNCH, Bhagalpur on 13.10.2015. I have conducted post-mortem examination at 3.30 p.m. on the dead body of Pankaj Kumar aged about 22 years Hindu male S/o Ram Rekha Singh, R/o Village Narayanpur, P.S. Sultanganj, District-Bhagalpur, on 13.10.2015 and brought and identified by Chowkidar, 3/11, rigor mortis was present all over the body. Nail bed & lips were deeply cynosed and face was congested. Tongue was protruded and bitten between teeth. One 1/2 inch wide, continuous, transverse legature mark was present in middle of neck just above thyroide cartilage.

On cutting skin over neck the underline tissue was deeply burised. On dissection of neck & chest, mucosa of larynx & trachia was deeply congested. Both lungs was deeply congested. Chambers of right side of heart were filled with blood while left was empty. All above noted injuries was antemortem & grevious and dangerous to life in the ordinary course of nature and caused by constriction of neck by ligature around neck.

Cause of Death:- Asphyxia & death due to strangulation.

Time since death:- Within 12 hours to 24 hours from time of P.M. examination.

This post-mortem report is in my handwriting and bears my signaure which is being marked as Ext. 2.

14. विद्वान अपर लोक अभियोजक की तरफ से **साक्षी सं0–7 गगन कुमार सुधाकर** का परीक्षण कराया गया है जो अपने मुख्य परीक्षण में कहे है कि दिनांक 12.10.2015 को मैं सुलतानगंज थाना में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर पदस्थापित था। उस दिन सुलतानगंज थाना कांड संख्या– 217/2015, दिनांक 13.10.2015 धारा 302, 201, 34 भा0द0वि0 के अनुसंधान का भार मुझे प्राप्त हुआ। तत्कालीन थानाध्यक्ष पुलिस निरीक्षक कृपाशंकर आजाद के द्वारा अनुसंधान का भार मुझे मिला। अनुसंधान ग्रहण करने के बाद एक फर्दब्यान जो पुलिस निरीक्षक कृपाशंकर आजाद थानाध्यक्ष के द्वारा तैयार किया गया है जो उनके लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जिसे मैं पहचानता हूँ, जिसे प्रदर्श–3 अंकित किया जाता है और उस फर्दब्यान का निबंधन पुलिस निरीक्षक कृपाशंकर आजाद थानाध्यक्ष के लिखावट एवं लघु हस्ताक्षर में है, जिसे मैं पहचानता हूँ जिसे प्रदर्श–3/1 अंकित किया जाता है। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट पुलिस निरीक्षक कृपाशंकर आजाद थानाध्यक्ष के द्वारा तैयार किया गया है जो उनके लिखावट एवं हस्ताक्षर में है। यह उसी मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट की कार्बन कॉपी है जिसे हूबहू उतारी गई है, जिसे मैं पहचानता हूँ जिसे प्रदर्श–4 अंकित किया जाता है। औपचारिक प्राथमिकी सहायक अवर निरीक्षक दिलीप सिंह के द्वारा भरा गया है, एवं इस पर पुलिस निरीक्षक कृपाशंकर आजाद थानाध्यक्ष का लघु हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानता हूँ, जिसे प्रदर्श–5 अंकित किया जाता है। फर्दब्यान एवं मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट कांड दैनिकी में अंकित कर वादी का पुनः ब्यान उनके गॉव में ही लिया। इसके बाद अजय कुमार, सुमन कुमार का ब्यान लिया। ब्यान लेने के बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस कांड का घटनास्थल बबुआजी का बगीचा मुरारका कॉलेज के नजदीक में है जो सुलतानगंज रेलवे लाइन से उत्तर में किचड़युक्त गढ्ढा है उसी में मृतक का शव चित लेटा हुआ पाया गया। घटनास्थल की चौहद्दी इस प्रकार है उत्तर आम का बागीचा, दक्षिण रेलवे लाईन, पूरब मकान का खण्डहर एवं पश्चिम अजगैबीनाथ मंदिर का

सत्र वाद सं0– 509/2016

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर।

सुलतानगंज थाना कांड संख्या–**217**/2015
राज्य बनाम् मदन कुमार उर्फ माधो
निर्णय दिनांक–06.06.2026

खाली जमीन है। इस कांड में मृतक के पास मोबाईल जिसका नंबर 9955140991 का सी0डी0आर0 एवं टॉवर लोकेशन एण्ड कैफ रिपोर्ट हेतु पुलिस अधीक्षक कार्यालय तकनीकी शाखा में प्रतिवेदन दिया। इस कांड में मृतक पंकज कुमार का पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त किया। साक्षी रामरेखा सिंह, तुलिया देवी का ब्यान अंकित किया। मृतक के मोबाईल का सी0डी0आर0 टॉवर लोकेशन एवं कैफ रिपोर्ट प्राप्त किया। मोबाईल नंबर 9661357067, 7808328451 मृतक का मोबाईल 9955140991 साथ रहने की बात प्रकाश में आई है। उसी आधार पर अप्राथमिकी अभियुक्त मदन कुमार उर्फ माधो कुमार को गिरफ्तार किया। मोबाईल नंबर 7808328451 अप्राथमिकी अभियुक्त मदन कुमार का पाया गया। मोबाईल नंबर 9661357067 गीता देवी के नाम से है। अभियुक्त मदन कुमार का स्वीकारोक्ति ब्यान लिया जो मेरे लिखावट में है जिसपर अभियुक्त माधो कुमार का दस्तखत है। मृतक के मोबाईल का सी0डी0आर0 टॉवर लोकेशन एवं कैफ रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक, तकनीकी शाखा से प्राप्त किया जो कुल छब्बीस पृष्ठ में है। डेड बॉडी चालान मृतक पंकज कुमार है जो पु0नि0 कृपाशंकर आजाद थानाध्यक्ष के लिखावट एवं लघु हस्ताक्षर में है, यह वही डेड बॉडी चालान की कार्बन प्रति है जो मूल से हुबहू उतारा गया है जिसे मैं पहचानता हॅू जिसे प्रदर्श–6 अंकित किया जाता है। इस कांड के अप्राथमिकी अभियुक्त मदन कुमार उर्फ माधो कुमार के विरूद्व आरोप पत्र संख्या–93/2016 दिनांक 30.05.2016 अंतर्गत धारा–302, 201, 34 भा0द0वि0 समर्पित किया। यह आरोप पत्र मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में है, जिसे मैं पहचानता हूॅ, जिसे प्रदर्श–7 अंकित किया जाता है।

15. विद्वान अपर लोक अभियोजक का कथन है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य में तारतम्यता एवं बल है। एक–दूसरे के विरोधाभाषी नहीं है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों का प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया परंतु प्रतिपरीक्षण के दौरान किसी ऐसे तथ्य का प्रकटीकरण नहीं किया गया है जिससे साक्षियों के साक्ष्य पर अविश्वास किया जा सके। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सम्पूर्ण युक्ति–युक्त संदेहों से परे साबित कर दिया है। अतएव, अभियुक्त को आरोपित अंतर्गत धारा 302, 201, 34 भा0द0वि0 के तहत दोषसिद्ध किया जाय।

16. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य की विश्वसनीयता, ग्राहयता एवं कांड की सत्यता पर प्रश्नचिन्ह लगाते हुए कहे है कि वास्तविक तथ्य यह है कि सूचक गलतफहमी में आकर मुकदमा कर दिया है यही कारण है कि अभियोजन की ओर से जो भी साक्षी ने साक्ष्य दिया है उसने घटना का समर्थन नहीं किया है।

17. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अभियोजन साक्षी संख्या–1 रामरेखा सिंह इन्होंने अपने परीक्षण में कहा है कि मेरे पुत्र की हत्या गला दाबकर हुई थी पर हत्या करते हुए मैंने किसी को नहीं देखा।

साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि मैं इस केस का घटनास्थल पर कभी नहीं गया। मैं अपने घर पर भी अपने लड़के का शव नहीं देखा था ना ही मैंने घटनास्थल या थाने में लड़के का शव देखा था। घटना किसके द्वारा किया गया यह मैंने नहीं देखा था। अभियोजन साक्षी संख्या–2 तुलिया देवी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि मैं कभी घटनास्थल पर नहीं गई थी। मैंने पुलिस को यह भी कहा था कि मेरी बेटी ने फोन कर बताया कि उसे अजय कुमार स्वतंत्र ने बताया है कि पंकज खत्म हो गया। मैं घटना के बारे में सुनी–सुनाई जानकारी पर ब्यान दे रही हूॅ तथा मुझे घटना की व्यक्तिगत जानकारी नहीं है। अभियोजन साक्षी संख्या–3 अजय कुमार स्वतंत्र ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि मैं अपनी ऑखों से घ ाटना घटते नहीं देखा था। मैंने पंकज कुमार की हत्या करते किसी को नहीं देखा है। मुझे पंकज कुमार के मृत्यु की सूचना मोबाईल पर मिली थी पर उसकी तारीख याद नहीं है और घ ाटना का तारीख मैं नहीं बता पाउंगा। पुलिस ने मुझसे घटना के विषय में कोई पूछताछ नहीं किया था। अभियोजन साक्षी संख्या–4 सुमन कुमार ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि हमने

सत्र वाद सं0– 509/2016

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर।

सुलतानगंज थाना कांड संख्या–**217**/2015
राज्य बनाम् मदन कुमार उर्फ माधो
निर्णय दिनांक–06.06.2026

फर्दब्यान नहीं पढ़ा था क्योंकि हमलोग घटना के बारे में कुछ नहीं जानते थे और मानसिक रूप से भी परेशान थे। मैंने घटना घटते हुए नहीं देखा था। अभियोजन साक्षी संख्या–5 प्रमोद कुमार सिंह उर्फ रामलखन सिंह जो इस केस के स्वयं सूचक है इन्होंने अपने परीक्षण में कहा है कि सुबह मेरे भाई अजय कुमार स्वतंत्र के मोबाईल पर किसी का फोन आया कि पंकज कुमार की हत्या हो गई है तथा प्रतिपरीक्षण में कहा है कि मुझे अजय कुमार स्वतंत्र ने यह नहीं बताया था कि उन्हें किसने पंकज कुमार की हत्या के बारे में सूचित किया था। अभियोजन साक्षी संख्या–6 डाक्टर राजीव रंजन ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि पोस्टमार्टम करने के पहले इनक्वेस्ट रिपोर्ट देखा था लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित नहीं किया। किस वस्तु से लिगेचर मार्क पैदा हुआ, यह मैं नहीं कह सकता हूँ। अभियोजन साक्षी संख्या–7 गगन कुमार सुधाकर ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि मैंने अपने अनुसंधान के क्रम में कोई भी मोबाईल जप्त नहीं किया था। मृतक के मोबाईल नंबर 9955140991 का सत्यापन भी नहीं किया और ना ही कैफ के रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि यह मोबाईल किसका है। इस केस का फर्दब्यान एवं मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट भी मेरे सामने नहीं बना था। जिस पुलिस पदाधिकारी ने फर्दब्यान लिया था उसका ब्यान मैंने नहीं लिया।

18. बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विवेचनाधिकारी द्वारा घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुरूप संपुष्टि कारक साक्ष्य न देकर बल्कि विरोधाभासी साक्ष्य दिया है और उनके द्वारा गवाह के रूप में घर के लोगों का ब्यान लिया गया है और किसी स्वतंत्र साक्षी का साक्ष्य नहीं लिया गया है। अनुसंधानकर्ता द्वारा घटनास्थल का मैप भी नहीं बनाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि विवेचनाधिकारी द्वारा मात्र थाना पर बैठकर ही कांड दैनिकी तैयार किया गया है। यदि घ ाटनास्थल पर जाकर विवेचना किए होते तो निश्चित ही घटना से संबंधित विवरण अवश्व तैयार किया होता और घटनास्थल की स्थिति स्पष्ट होती परंतु इनके द्वारा विरोधाभाषी साक्ष्य दिया गया है। ऐसी स्थिति में इस साक्षी का साक्ष्य विश्वास योग्य नहीं है।

19. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों ने घटना के अनुरूप संपुष्ट कारक साक्ष्य न देकर विरोधाभाषी साक्ष्य दिया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षियों के साक्ष्य में ना तो तारतम्यता ही है और ना ही बल है। बल एक दूसरे के विरोधाभाषी है और प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुरूप भी साक्ष्य नहीं दिए है। सूचक और अन्य साक्षी ने घटना को घटते हुए नहीं देखा है। सभी साक्षी ने सुनी–सुनाई बातों को न्यायालय के समक्ष अपने गवाही में कहा है। कोई भी साक्षी चक्षूदर्शी साक्षी नहीं है। विवेचना अधिकारी ने भी किसी स्वतंत्र साक्षी का साक्ष्य नहीं लिया है जिससे घटना होने की संपुष्टि हो सके। ऐसी स्थिति में अभियोजन अभियुक्त के विरूद्व लगाए गए आरोप अंतर्गत धारा–302, 201, 34 भा0द0वि0 के तहत संपूर्ण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर सका है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए आरोपित धारा से दोषमुक्त किया जाय।

20. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन कया। अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि अभियुक्त के विरूद्व धारा– 302, 201, 34 भा0द0वि0 के तहत आरोप का गठन किया गया है। अभियोजन की ओर से घटना के समर्थन में कुल सात साक्षियों को परीक्षित कराया गया है जिसमें सूचक ने कहा है कि मेरे पुत्र की हत्या गला दाबकर हुई थी पर हत्या करते हुए मैंने किसी को नहीं देखा। मैं इस केस का घटनास्थल पर कभी नहीं गया। मैं अपने घर पर भी अपने लड़के का शव नहीं देखा था ना ही मैंने घटनास्थल या थाने में लड़के का शव देखा था। घटना किसके द्वारा किया गया यह मैंने नहीं देखा था। सूचक सहित सभी साक्षियों ने प्राथमिकी से संबंधित साक्ष्य नहीं दिया है और इनके साक्ष्य में ना तो तारतम्यता है और ना ही बल है। विवेचनाधिकारी द्वारा सिर्फ सूचक के घर वालों का साक्ष्य लिया गया है। किसी भी स्वतंत्र साक्षी का साक्ष्य नहीं लिया है। अभियोजन की ओर से जो

सत्र वाद सं0– 509/2016

उपस्थित– **श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,**
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर।

सुलतानगंज थाना कांड संख्या–**217**/2015
राज्य बनाम् मदन कुमार उर्फ माधो
निर्णय दिनांक–06.06.2026

भी साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराए है उनके भी साक्ष्य में तारसम्यता व बल नहीं है बल्कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के विरोधाभाषी है। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष अभियुक्त मदन कुमार उर्फ माधो के विरूद्व लगाए गए धारा– 302, 201, 34 भा0द0वि0 के तहत संपूर्ण युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं कर सका है। अतएव अभियुक्त मदन कुमार उर्फ माधो को आरोपित धारा से दोषमुक्त करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः अभियुक्त मदन कुमार उर्फ माधो को आरोपित धारा 302, 201, 34 भा0द0वि0 से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्वों से उन्मुक्त किया जाता है। अभियुक्त इस आशय का बन्ध पत्र दाखिल करेंगे कि यदि सूचक अपीलीय न्यायालय में अपील दाखिल करता है तो अभियुक्त अपीलीय न्यायालय में उपस्थित रहेंगे।

निर्णय समाप्ति के पश्चात यह समीचीन प्रतीत होता है कि न्यायालय यह धारित करे कि मुकदमें में पीड़ित पक्ष कौन है ? अभिलेख अवलोकन से प्रतीत होता है कि सूचक ने इस वाद में प्राथमिकी से संबंधित संपुष्ट कारक साक्ष्य नहीं दिया है। ऐसी स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, भागलपुर को प्रतीकर की राशि की अनुशंसा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। कार्यालय को आदेश दिया जाता है कि निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी, भागलपुर को भेजे। तत्पश्चात्, अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लेखापित, संशोधित
एवं हस्ताक्षरित कर आज उभयपक्ष की उपस्थिति में सुनाया गया।

ह0/–
(सुरेश कुमार श्रीवास्तव)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर
दिनांक–06.06.2026

ह0/–
(सुरेश कुमार श्रीवास्तव)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–III
भागलपुर
दिनांक–06.06.2026